न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 66/2019 निर्णय दिनांक 27.12.2019

हनुमानराम पुत्र भूराराम जाति पुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

———-वादी

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

——प्रतिवादी

उपस्थिति—

1. श्री धर्मेन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की तरफ से ।
2. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भूराजस्व अधिनियम

यह वाद इस न्यायालय में हनुमानराम ने जरिये जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि वादी ग्राम तोलियासर तहसील श्री डूँगरगढ का स्थाई निवासी है । वादी का सही वास्तविक नाम हनमान पुत्र भूराराम है । वादी के तमाम सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में वादी का नाम हनुमानराम पुत्र भूराराम जाति पुरोहित निवासी तोलियासर अंकित चला आ रहा है । खसरा नम्बर 54 तादादी 3.26 हैक्टयर वाके रोही माणकरासर की खातेदारी में वादी का नाम हनुमानराम की जगह हनुमानमल दर्ज चला आरहा है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 1025/117 तादादी 2.28 हैक्टयर खसरा नम्बर 747 तादादी 2.74 हैक्टयर वाके रोही तोलियासर की खातेदारी में वादी का नाम हनुमानराम की जगह हडमानाराम दर्ज चला आ रहा है व खसरा नम्बर 615 तादादी 3.17 हैक्टयर वाके रोही तोलियासर में वादी का नाम हनुमानराम की जगह हडमानाराम उर्फ हनुमानाराम पुत्र भूरजी दर्ज चला आ रहा है । जबकि उक्त सभी खेतों में वादी का सही व वास्तविक नाम हनुमानराम पुत्र भूराराम अंकित होना चाहिए था । उपरोक्त वर्णित खेतों में वादी के नाम की घोषणा कर दुरूस्ती करने के लिए दिनांक 15.7.2019 को प्रतिवादी से निवेदन किया तो प्रतिवादी ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपके नाम की रिकार्ड में शुद्धिकरण करना व घोषणा करना मेरे लिए संभव नहीं है । इस प्रकार प्रतिवादी ने उक्त शुद्धि की घोषणा करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया । इंकारी की दिनांक से वादी को वाद हेतु उत्पन्न हुआ है व उक्त वर्णित खेत वादी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से वादाधार प्राप्त है । अतः दावा वादी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें —

(क) खेत खसरा नम्बर 54 तादादी 3.28 हैक्टयर वाके रोही माणकरासर व खसरा नम्बर 1025/117 तादादी 2.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 747 तादादी 2.74 हैक्टयर, खसरा नम्बर 615 तादादी 3.17 हैक्टयर व खसरा नम्बर 634 तादादी 5.70 हैक्टयर वाके रोही तोलियासर तहसील श्री डूँगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी के गलत नाम की जगह हनुमानराम पुत्र भूराराम जाति पुरोहित निवासी तोलियासर घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण

Scanned by CamScanner

करने का आदेश प्रतिवादी को दिया जावे व आदेश की पालना प्रतिवादी से करवाई जावे ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी स्टेट की तरफ से जवाब पेश हुआ कि राजस्व रिकार्ड में हनुमानमल व हडमानराम हनुमान पुत्र भूरजी, भूराराम के स्थान पर हनुमानराम पुत्र भूराराम जाति पुरोहित शुद्धि किया जाना प्रस्तावित है ।

बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । स्टेट को वादी का नाम शुद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण वादी वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 54 तादादी 3.28 हैक्टयर वाके रोही माणकरासर व खसरा नम्बर 1025/117 तादादी 2.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 747 तादादी 2.74 हैक्टयर, खसरा नम्बर 615 तादादी 3.17 हैक्टयर व खसरा नम्बर 634 तादादी 5.70 हैक्टयर वाके रोही तोलियासर तहसील श्री डूँगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी के गलत नाम की जगह हनुमानराम पुत्र भूराराम जाति पुरोहित निवासी तोलियासर घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण के आदेश तहसीलदार, श्री डूँगरगढ को दिये जाते है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें । डिकी जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय बाद दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner